Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Appeal No.- 38/2021

Shahzadi Khatoon .... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors .... Respondents.

Web Copy Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.08.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रूपौली द्वारा आँगनबाड़ी सहायिका पद के चयन में बरती गई अनियमितता के विरूद्ध समर्पित अभ्यावेदन पर निम्न न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किये जाने के विरूद्ध दायर किया गया है। उत्तरवादी सं0–05 रजिना खातुन की ओर से सुनवाई की तिथि को उपस्थिति देकर सुनवाई में भाग नहीं लिया गया। फलतः अपीलार्थी को सुना गया। इनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि रूपौली परियोजनान्तर्गत पंचायत–भीखना, वार्ड सं0–13 में आँगनबाड़ी सहायिका पद पर नियुक्ति हेतु अपीलार्थी एवं अन्य द्वारा आवेदन समर्पित किया गया था। दिनांक–19.02.2021 को आयोजित आमसभा में विपक्षी सं0–05 का सहायिका पद पर चयन किया गया। इस चयन के विरूद्ध इनके द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रूपौली के समक्ष परिवाद समर्पित करते हुए यह आपत्ति उठायी गई कि विपक्षी सं0–05 द्वारा आवेदन के साथ संलग्न अष्टम् उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में कुल 70.4% अंक है जबकि Online आवेदन में राजकीय मध्य विद्यालय, मिलिकी, मीराचक, बिहपुर, भागलपुर से अष्टम् उत्तीर्ण में कुल 80.86% अंक दर्ज है, जो भिन्न एवं जाँच का विषय है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रूपौली द्वारा इनके परिवाद पर कोई कार्रवाई नहीं करने के विरूद्ध इनके द्वारा दिनांक–06.04.2021 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष वाद दायर किया गया जिसपर इनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत अपील दायर किया गया है। इनका आगे कथन है कि विपक्षी सं0–05 के अष्टम् उत्तीर्ण दो शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में प्राप्तांक की भिन्नता की जाँच करायी जाय। विपक्षी सं0–05 द्वारा आवेदन के समय समर्पित अष्टम् उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में नाम को व्हाईटनर से मिटाकर रजिया खातुन का नाम दर्ज किया गया है। विद्यालय द्वारा दिनांक–19.07.2020 को निर्गत प्रमाण पत्र फर्जी है। अपीलार्थी उक्त पद हेतु एकमात्र योग्य अभ्यर्थी है जिनका सहायिका पद पर चयन किया जाना चाहिए।	

		इस प्रकार इनकी ओर से अपील आवेदन स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी सं0–05 रजिया खातुन की ओर से समर्पित प्रत्युत्तर में कहा गया है कि दिनांक–19.02.2021 को आयोजित आमसभा में क्रमशः	
	लगातार 29.08.2023	सर्वसम्मति से इनका चयन करते हुए चयन पत्र निर्गत किया गया है। अपीलार्थी मेधा सूची क्रमांक–05 पर अंकित है जबकि विपक्षी प्रथम स्थान पर है। चयन समिति द्वारा इन्हें योग्यता के आधार पर चयनित किया गया है। अपीलार्थी अपने प्राप्तांक का कहीं भी उल्लेख नहीं की है। वे मात्र समय बर्बाद कर रही है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया ने पत्रांक–826 दिनांक–25.06.2022 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि उक्त मामले की सुनवाई के क्रम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रूपौली ने पत्रांक–311 दिनांक–02.07.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि चयनित सहायिका रजिया खातुन के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जाँच संबंधित विद्यालय से कराये जाने पर उनका प्रमाण पत्र सही पाया गया है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि रूपौली परियोजना अंतर्गत पंचायत–भिखना वार्ड नं0–13 आँगनबाड़ी सहायिका पद पर नियुक्ति हेतु समर्पित अपील अभ्यावेदन में अपीलार्थी द्वारा शैक्षणिक प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा किये जाने के आधार पर दावा किया जा रहा है। जबकि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया ने चयनित सहायिका के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जाँच संबंधित विद्यालय से कराये जाने पर सही पाने का उल्लेख किया है। अतः उपरोक्त के आलोक में प्रस्तुत अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy, Not Official.

Web Copy. Not Official.